उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के साथ प्रश्नगत जमींन के बन्दोबस्ती के पूर्व 16/– रैयतों को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है जो सं0प0 काश्तकारी रूल्स 1950 के नियमानुकूल नहीं है। साथ ही रैयतों द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन की भी जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल एवं न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि 16/– रैयतों को नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जाय।

Seen
Arjun
AOU
11-6-16

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

(207)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 08 / 2011–12

हरिनाथ यादव ..... आवेदक

बनाम

सुदर्शन राउत एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

13/05/2016 प्रस्तुत यह आर0एम0आर0 सं0– 08 / 2011–12 हरिनाथ यादव बनाम् सुदर्शन राउत एवं अन्य, मौजा, पुरना ढोलगड़िया, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0– 47 / 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2004 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों को अवलोकन किया।

आवेदन के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा नया ढोलगड़िया के दाग सं0 511 जो परती कदीम है, में भूतपूर्व जमींदार द्वारा उन्हें तीन एकड़ जमींन का पट्टा बन्दोबस्ती मिला है। प्रश्नगत जमींन उनके जमाबन्दी जमींन के लगावा में है एवं खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है। विपक्षी जो मौजा का जमाबन्दी रैयत नहीं है, के साथ निम्न न्यायालय द्वारा 02 (दो) एकड़ जमींन की बन्दोबस्ती किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

आवेदक की ओर से लिखित बहस के साथ जमींनदार द्वारा निर्गत किया गया बन्दोबस्ती पट्टा की छायाप्रति एवं लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि परती कदीम है। उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बन्दोबस्ती मिला है एवं उनके दखल कब्जा में है तथा लगान का भुगतान किया जा रहा है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं है कि विपक्षी का उक्त मौजा में कौन सा जमाबन्दी है एवं कौन–कौन सा दाग उस दाग से सटे हुए है। मौजा प्रधानी है अथवा खास है, स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन में अंकित नहीं है। साथ ही इस बन्दोबस्ती के पूर्व मौजा के 16 / – रैयतों को नोटिस नहीं किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस बन्दोबस्ती के विरूद्ध में मौजा के 16 / – रैयतों द्वारा आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इन आपत्ति आवेदन पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है।